

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 646
दिनांक 06.02.2025 को उत्तरार्थ

ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्यान्वयन

646. श्रीमती साजदा अहमद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग अवसंरचना के लिए सुदृढ़ दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) सरकार बैटरी प्रौद्योगिकियों के मानकीकरण और अंतर-संचालन जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए किस प्रकार योजना बना रही है: और

(ग) इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अवसंरचना के कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु हितधारकों के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहनों या सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाइक)

(क) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 10 जनवरी, 2025 को "बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और संचालन संबंधी दिशानिर्देश" जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश बैटरी चार्जिंग स्टेशन (बीसीएस) और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों (बीएसएस) के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के विकास की सुविधा के लिए मानकों और प्रोटोकॉल को रेखांकित करते हैं। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- i. बैटरी स्वैपिंग स्टेशन (बीएसएस) और बैटरी चार्जिंग स्टेशन (बीसीएस) की स्थापना को गैर-लाइसेंसीकृत गतिविधि के रूप में नामित किया गया है, जिससे व्यवसाय की प्रक्रिया सरल हो गई है।
- ii. डिस्कॉम को बीएसएस एंड बीएसएस को त्वरित समयसीमा और स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ 150 किलोवाट तक विद्युत कनेक्शन प्रदान करने का सुझाव दिया गया है।

- iii. किफायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया है कि सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं को 1 रु. प्रति किलोवाट घंटे की दर से राजस्व-साझाकरण मॉडल पर सार्वजनिक भूमि उपलब्ध कराई जाए। निजी संस्थाओं के लिए 1 रु. प्रति किलोवाट घंटा की न्यूनतम कीमत पर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है।
- iv. इसके अतिरिक्त, बीसीएस/बीएसएस की स्थापना के लिए सरकारी भूमि से जुड़ी सार्वजनिक निविदाओं को प्रौद्योगिकी से अलग रखने का सुझाव दिया गया है।
- v. राज्य सरकारों को बीसीएस और बीएसएस के लिए चौबीसों घंटे संचालन की अनुमति देने की सलाह दी गई है।
- vi. शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर पर एक बैटरी चार्जिंग/स्वैपिंग स्टेशन, राजमार्गों पर प्रत्येक 20 किलोमीटर पर और भारी वाहनों के लिए प्रत्येक 100 किलोमीटर पर एक बैटरी चार्जिंग/स्वैपिंग स्टेशन होना चाहिए।

(ख) : वर्तमान में बैटरी स्वैपिंग का विकास हो रहा है तथा सभी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उपयोगकर्ताओं के बीच पूर्ण अंतर-प्रचालन की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ग) : विद्युत मंत्रालय ने देश में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के विकास की सुविधा के लिए दिनांक 17 सितंबर, 2024 को "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और संचालन संबंधी दिशानिर्देश- 2024" जारी किए हैं। उपर्युक्त दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- i. ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना को एक गैर-लाइसेंसीकृत गतिविधि के रूप में नामित किया गया है, जो व्यवसायों की प्रक्रिया को सरल बनाता है।
- ii. ईवी चार्जिंग स्टेशनों हेतु विद्युत कनेक्शन की सुविधा के लिए समयसीमा विनिर्दिष्ट की गई है। ईवी चार्जिंग स्टेशनों के स्वामी 150 किलोवाट तक के लोड के लिए लो टेंशन (एलटी) कनेक्शन का विकल्प का चुनाव कर सकते हैं।
- iii. किफायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया है कि सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं को 1 रु. प्रति किलोवाट घंटे की दर से राजस्व-साझाकरण मॉडल पर सार्वजनिक भूमि उपलब्ध कराई जाए। निजी संस्थाओं के लिए 1 रु. प्रति किलोवाट घंटा की न्यूनतम कीमत पर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है।
- iv. ईवी चार्जिंग स्टेशनों में विद्युत की आपूर्ति हेतु टैरिफ को सरल बनाया गया है। टैरिफ को सिंगल पार्ट बनाने और इसे दिनांक 31 मार्च, 2028 तक "आपूर्ति की औसत लागत" तक सीमित करने की सलाह दी गई है।

- v. आवासीय स्वामी ईवी चार्जिंग के लिए मौजूदा विद्युत कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं या समर्पित ईवी चार्जिंग टैरिफ के साथ वितरण लाइसेंसधारी से अलग मीटर कनेक्शन का विकल्प का चुनाव कर सकते हैं।
- vi. सौर ऊर्जा के माध्यम से चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए, सौर घंटों (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे) के दौरान चार्जिंग को प्रोत्साहित किया गया है।
- vii. सार्वजनिक और सामुदायिक ईवी चार्जिंग स्टेशन द्वारा ग्राहक से लिए जाने वाले सेवा शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है।
- viii. कनेक्टेड और इंटरऑपरेबल ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल (ओसीपीपी), ओपन चार्ज पॉइंट इंटरफ़ेस (ओसीपीआई) और यूनिफाइड एनर्जी इंटरफ़ेस (यूईआई) जैसे ओपन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है।

ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपाय इस प्रकार हैं:

- i. पीएम ई-ड्राइव (नवोन्मुखी वाहन संवर्धन में इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति) के तहत 72,300 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (दोपहिया ई वाहन और तीन पहिया ई वाहन के लिए 48,400, चार पहिया ई वाहन के लिए 22,100 और 1800 ई-बसों) को समर्थन देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।
- ii. मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉज में संशोधन किया गया है, जिसमें निजी और व्यावसायिक भवनों में चार्जिंग स्टेशनों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है।
